समाहरणालय, जहानाबाद।

(सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय) फोन न0 :- 06114-223001, 223072

पत्रांक /जि.सू.ज.स.वि.
फैक्स न0 :- 06114-223142

दिनांक अप्रैल, 2017 ई0
ई0 मेल :- dm-jehanabad.bih@nic.in

संयुक्त आदेश

प्रधान सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 302/सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक 28.03.2017 के आलोक में गाँधी जी के संदेश, उनके जीवन पर निर्मित फिल्म/वृत चित्र एवं उनके विचारों को प्रचार वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक गाँव, टोला/वसावट एवं हाट/बाजार में पहुँचाया जाना निश्चय हुआ है। इसके लिए मल्टीमिडिया की सुविधाओं से सम्पन्न''गाँधी रथ''(प्रचार वाहन) जिलों को विभाग से सूचीबद्ध एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त प्रचार वाहन के माध्यम से गाँधी जी के संदेश एवं विचारों को संलग्न कार्यक्रम तालिकानुसार सफलतापूर्वक प्रचारित किया जाना सुनिश्चित है।

प्र0वि0पदा0 इस प्रचार वाहन के प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(क) कर्मियों की प्रतिनियुक्ति :-

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद गाँधी रथ(प्रचार वाहन) का प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु पंचायत सवक/कर्मचारी/शिक्षा मित्र/विकास मित्र/आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका/जिविका कर्मी आदि की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार करेंगे एवं अपनी देख-रेख में कार्यक्रम का सफलता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जन-प्रतिनिधियों एवं आमजनों की भागीदारी पंजी पर अंकित कर उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। पंजी एवं अन्य प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय को समर्पित करेंगे।

(ख) समय का अनुपालन :-

प्र0वि0पदा0 यह सूनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यक्रम प्रक्रिया में पतिनियुक्त सभी कर्मी कार्यक्रम स्थल पर ससमय पहुँच जायें तथा आमजनों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रस्तावित कार्यक्रम का प्रत्येक कार्यक्रम लगभग एक से सवा घंटे का होगा।

(ग) जन-प्रतिनिधि की भूमिका:-

प्र0वि0पदा0 प्रस्तावित कार्यक्रम/शिविर की सूचना ससमय स्थानीय विधान सभा सदस्य, पार्षद, प्रखण्ड के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की सहभागिता एवं सहयोग लेने हेतु अनुरोध करेंगे एवं प्रत्येक कार्यक्रम का उद्घाटन एवं भाषण इन गणमान्य महानुभावों से करायेंगे।

(घ) विधि-व्यवस्था :-

कार्यक्रम शिविर की सफलता हेतु विधि-व्यवस्था का संधारण अनिवार्य है। कार्यक्रम स्थल पर काफी लोगों की भीड़ रहेगी, ऐसे में कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। विधि-व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद की होगी। अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद कार्यक्रम स्थल पर भीड़ के नियंत्रण हेतु पर्युक्त सशस्त्र बल/लाठी बल/होमगार्ड/चौकीदार आदि की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ कार्यक्रम स्थल पर विधि-व्यवस्था का अनुश्रवण भी करेंगे। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय स्तर पर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी या अन्य स्थानीय पदाधिकारी के साथ थाना प्रभारी विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे।

(ङ) प्रतिवेदन :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रचार-प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतिवेदन कार्यक्रम का फोटो सहित स्थान/तिथि/समय के साथ संबंधित प्रचार एजेन्सी द्वारा एप्प के माध्यम से जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय, जहानाबाद तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।